बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार सरकार

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/–(रूपये एक लाख) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. अभ्यर्थी के लिए अर्हता एवं शर्तें:–

(i) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
(ii) बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का सदस्य होना चाहिए।
(iii) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2022 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
(iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
(v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. आवेदन की प्रक्रिया:–

(i) विभागीय वेबसाईट–**https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html** पर **Login** कर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 01.08.2022 तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगें। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगें एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ii) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक IFSC Code स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो) की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

(iii) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई–मेल आई0डी0 होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई–मेल आई0डी0 पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी ई–मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई–मेल नियमित रूप से देखने (चेक करने) की अपेक्षा की जाती है।

(iv) ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन करने का अंतिम तिथि–01.08.2022

विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट :–**https: //state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome. html** पर देखी जा सकती है।

विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2215406 पर संपर्क किया जा सकता है।

उप सचिव,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग